अध्याय 8

बैठक

1[90. प्रत्येक सहकारी समिति, प्रत्येक सहकारी वर्ष में एक बार अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी। वह बैठक वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत किये जाने और धारा 64 के अधीन उसके लेखो का परीक्षण हो जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, किन्तु प्रारम्भिक समिति की स्थिति में 30 नवम्बर तक और केन्द्रीय और शीर्ष समिति की स्थिति में 31 दिसम्बर तक की जायगीः

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगे, किसी समिति को, यथास्थिति, 30 नवम्बर या 31 दिसम्बर के पश्चात भी अपनी वार्षिक बैठक करने की अनुमति दे सकता है, और उस स्थिति में वार्षिक सामान्य बैठक इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि के भीतर होगी।]

91.यदि किसी सहकारी समिति की वार्षिक सामान्य बैठक, उसके लेखों का परीक्षण होने के पूर्व किसी वर्ष में नियम 90 के अधीन हो तो धारा 32 की उपधारा (1) खण्ड (ग), (घ) और (च) में उल्लिखित विषयों पर समिति की अगली वार्षिक बैठक में विचार किया जायेगा।

92. धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन गत सहकारी वर्ष क लेखा परीक्षा पर विचार करने के लिए, सामान्य बैठक के समक्ष लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा में उल्लिखित मुख्य टिप्पणियों, आपत्तियों, और अभ्युक्तियों का एक संक्षिप्त

विवरण रखा जायेगा। यह संक्षिप्त विवरण नियम 93 में व्यवस्थित रीति से तैयार किया जायेगा। समिति के सामान्य निकाय के सदस्य, समिति के कार्यालय में और कार्य के घन्टो, कार्य सूची जारी कर दिये जाने के पश्चात ओर वार्षिक सामान्य बैठक होने के दिनांक तक सम्पूर्ण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को निरीक्षण कर सकेगे।

93. नियम 91 मे निर्दिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण, समिति के सचिव की सहायता से, समिति की प्रबन्धक कमेटी द्वारा या यदि समिति की उपविधियों में ऐसा व्यवस्थित हो तो इस प्रयोजन के लिए संघटित विशेष कमेटी द्वारा तैयार किया जायेगा और उस दशा में वार्षिक बैठक के समक्ष रखने के पूर्व संक्षिप्त विवरण की जांच और उसका अनुमोदन प्रबन्धक कमेटी द्वारा किया जायेगा।

94. नियम 92 या 93 में दी गयी किसी बात से किसी सदस्य के किसी ऐसे सारवान विषय के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण से छूट गया हो, सामान्य निकाय का ध्यान आकर्षित करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा और सामान्य निकाय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को मंगा सकती है और उस विषय पर चर्चा कर सकती है।

1.अधिसूचना 3815/सी-1-77-7-(5)1977,दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के द्वारा रखे गये।

95. किसी सहकारी समिति की सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारी कमेटी की बैठक केवल समिति के मुख्यालय पर होगी।

स्पष्टीकरण- पदावली "कार्यकार कमेटी" का तात्पर्य प्रबन्ध कमेटी द्वारा संगठित किसी भी कमेटी या सब कमेटी से है जिसे प्रबन्ध कमेटी के समस्त या कोई भी अधिकार कृत प्रतिनिहित हो।

96. बैठक की सूचना अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियां के उपबन्धों के अनुसार दी जायेगी।

97. (क) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन होने वाली बैठक के लिए गणपूर्ति सभी सम्बद्ध समितियों की समान्य निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी और यदि इस गणपूर्ति के अभाव में सामान्य बैठक स्थगित कर दी जाये तो स्थगित बैठक, निबन्धक की अनुज्ञा से 1/5 की ही गणपूर्ति से हो सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह ह ै कि समबद्ध समितियों का सामान्य निकाय के सदस्यों को गणपूर्ति की संख्या कम करने की लिखित सूचना दी गई हो।

(ख) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन होने वाली बैठक के लिये गणपूर्ति सामान्य निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी और यदि ब ैठक ऐसी गणपूर्ति के अभाव में स्थगित हो गई हो, तो यह स्थगित बैठक निबन्धक की अनुज्ञा से 1/5 की कम की गई गणपूर्ति से की जा सकती हैः

प्रतिबन्ध यह ह ै कि गणपूर्ति की संख्या कम करने की लिखित सूचना सामान्य निकाय के सदस्यो को दी गई हो।

98. समिति के सभापति या उसकी अनुपस्थित में उपसभापति अथवा दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया क ोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह ह ै कि सभापति या उपसभापति सहित कोई व्यक्ति की अध्यक्षता इस दशा में नही करेगा जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी हो जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो।

99. बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कार्यवाहियों का संचालन ऐसी रीति से करेगा जो कार्य का शीघ्र और संतोषजनक ढंग से निस्तारण करने में सहायक हो और व्यवस्था

के सभी प्रश्नों का निर्णय बैठक में करेगा।

100. कोई भी सामान्य बैठक या प्रबन्ध कमेटी की बैठक तब तक न होगी और न उसकी कार्यवाही आगे चलाई जायेगी जब तक कि अधिनियम, नियम या उपविधियों में निर्दिष्ट गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्य उपस्थित न हो।

101. यदि बैठक के लिए निश्चित समय से आधे घन्टे के भीतर गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक समिति की उपविधियों के उपबन्धो के अनुसार स्थगित की जा सकती हैः

प्रतिबन्ध यह ह ै कि यदि बैठक सदस्यों या प्रतिनिधियों के अधियाचन पर बुलाई गई हो और यदि बैठक के लिए निश्चित समय से एक घन्टे के भीतर गणपूर्ति पूरी न हो तो ऐसी बैठक स्थगित की जा सकती है।

102. यदि नियम 26 या नियम 97 में निर्दिष्ट बैठक से भिन्न कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी जाये तो स्थगित बैठक ऐसी कम गणपूर्ति से भी की जा सकती है तो मूल गणपूर्ति से 50 प्रतिशत से कम न हो, ज ैसा कि समिति की उपविधियों में निर्धारित की जाये।

103. बैठक में, विषय पर तब तक उसी क्रम से विचार किया जायेगा ज ैसा कार्य सूची में उल्लिखित हो, जब तक कि बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति उपस्थिति सदस्यों के बहुमत से क्रम में परिवर्तन करने के लिए सहमत न होः

प्रतिबन्ध यह है कि किसी पदधारी या प्रतिनिधि का निर्वाचन अथवा आमेलन तब तक नही किया जायेगा जब तक कि कार्य सूची में विशिष्ट रूप में उल्लिखित न हो।

104. धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक द्वारा या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बुलाई गई कोई असाधारण सामान्य ब ैठक को वे सभी अधिकार होगे और उन्ही नियमों के अधीन होगी जो समिति की उपविधियों के अनुसार

बुलाई गई बैठक की हों।

105. किसी बैठक के समक्ष सभी विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्व ारा पारित संकल्प के रूप में तब तक निश्चित किये जायेगे जब तक कि अधिनियम, नियमों या समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन कोई विशिष्ट बहुमत अपेक्षित न हों मतो के बारबर बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

106. जब किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों में किसी संकल्प पर मतभेद हो तो कोई भी सदस्य मतदान की मांग कर सकता है। जब मतदान की मांग की जाये तो बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति संकल्प पर मतदान कर सकता है।

107. मतदान हाथ उठाकर किया जा सकता है जब तक कि नियमों या समिति की उपविधियों में अन्यथा निर्दिष्ट न हों

108. यदि कार्य सूची के सभी कार्य उसी दिनांक को जब बैठक हो, पूरे न किये जा सके तो बैठक किसी अन्य दिनांक के लिए स्थगित की जा सकती है जैसा कि बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निश्चित किया जाये या इस नियमावली अथवा समिति की उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाये।

109. ऐसे सदस्य, जो धारा 33की उपधारा (2) के अधीन या नियम 114 के अधीन बैठक बुलाने के लिए अधियाचन करे, उन उद्देश्यो का विवरण देगे जिनके लिए वे बैठक बुलाने का अधियाचन कर रहे हो।

110. प्रत्येक सहकारी समिति जब निबन्धक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा आपेक्षित हो, निबन्धक को सामान्य निकाय की और प्रबन्ध कमेटी की भी नोटिस और कार्य सूची की एक प्रति भेजेगी। समिति नोटिस में अपना पूरा नाम, निबन्धन संख्या और

निबन्धन का दिनांक लिखेगी।

111. निबन्धक, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगे; किसी सहकारी समिति की बैठक के जो उसके कहने पर बुलाई गई हो, कार्य सूची के किसी विषय पर विचार स्थगित करने का निदेश दे सकता है। निबन्धक के ऐसे आदेश का उल्लंघन करके बैठक मे लिया गया कोई निर्णय अवैध तथा प्रवर्तन शून्य होगा।

112. सभी बेठकों की कार्यवाहियों की कार्य वृत्तियॉ इस प्रयोजन के लिये रखी गयी पुस्तिका में अभिलिखित की जायेगी और कार्यवृत्तियों पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति और समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे।